मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

बुधवार, दिनांक 23 नवम्बर, 2011 (अग्रहायण 2, 1933)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 16 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 93 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 107 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री राजेन्द्र फूलचन्द्र वर्मा, सदस्य ने देवास जिले की तहसील टोंकखुर्द के ग्राम देवली में पेयजल संकट होने,

(2) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य ने नरयावली क्षेत्र में विद्युत संकट होने,

(3) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य ने शासकीय महाविद्यालय, खाचरौद नागदा में प्राध्यापकों के पद रिक्त होने,

(4) श्री पुरूषोत्तम दांगी, सदस्य ने ब्यावरा (राजगढ़) में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार होने,

(5) श्री विश्वास सारंग, सदस्य ने मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के परीक्षार्थियों की उम्र बढ़ाई जाने,

(6) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य ने टीकमगढ़ की मोहनगढ़ तहसील में मूलभूत व्यवस्थाएं न होने तथा

(7) श्री लखन घनघोरिया, सदस्य ने जबलपुर में राज्य बीमार सहायता निधि से लीवर की बीमारी की सहायता राशि न मिलने संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं।

3. ध्यानाकर्षण

(1) श्री गिरिजा शंकर शर्मा, डॉ. गोविन्द सिंह तथा श्री पुरुषोत्तम दांगी, सदस्यगण ने होशंगाबाद एवं हरदा जिले के कृषकों को अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सोयाबीन फसल के बीमा का लाभ न मिलने की ओर किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

डॉ. रामकृष्ण कुसमरिया, किसान कल्याण तथा कृषि विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) सर्वश्री राजेन्द्र फूलचन्द वर्मा तथा पारस सकलेचा, सदस्यगण ने देवास जिले के सोनकच्छ एवं टोंकखुर्द तहसील में बी.पी.एल. राशन कार्ड न बनाये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गोपाल भार्गव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

4. अनुपस्थिति की अनुज्ञा

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से, सर्वश्री मूल सिंह एवं रामप्यारे कुलस्ते, सदस्यगण को विधान सभा के वर्तमान सत्र नवम्बर, 2011 की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुज्ञा प्रदान की गई।

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित -

(1) श्री परसराम मुदगल, सदस्य की मुरैना जिले की,

(2) श्री पारस सकलेचा, सदस्य की रतलाम जिले की तथा

(3) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य की सागर जिले की

विकास कार्यों संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं।

6. राज्यमंत्री, राजस्व का वक्तव्य

श्री जयसिंह मरावी, राज्यमंत्री, राजस्व ने दिनांक 20 जुलाई, 2011 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 11 (क्रमांक 2353) के उत्तर में संशोधन करने के संबंध में वक्तव्य दिया।

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) तृतीय संशोधन विधेयक, 2011 (क्रमांक 30 सन् 2011) पर विचार किया जाय.

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी

(2) श्री गिरिजाशंकर शर्मा

(3) श्री पारस सकलेचा

(4) श्री रामनिवास रावत

8. अध्यक्षीय व्यवस्था :

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) तृतीय संशोधन विधेयक, 2011 के विचारण पर आपत्ति एवं व्यवस्था

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) तृतीय संशोधन विधेयक, 2011 पर विचार के दौरान चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य द्वारा यह व्यवस्था का प्रश्न उठाया गया कि इस के उद्देश्य एवं कारणों के कथन में यह उल्लेख किया गया है कि राज्य सरकार द्वारा उक्त विश्वविद्यालयों के प्रायोजी निकायों के आशय पत्र जारी कर दिए हैं। इसमें आपत्ति यह है कि विधेयक लाकर सदन के सदस्यों को संसूचित करने के पूर्व ही शासन द्वारा किस आधार पर आशय पत्र जारी कर दिए गए तथा उन्हें सदन के पटल पर नहीं रखा गया ? अतः वर्तमान में इस विधेयक पर चर्चा रोकी जाए।

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री द्वारा यह तर्क दिया गया कि सदन द्वारा पारित मूल अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ही शासन द्वारा परीक्षण करके आशय पत्र जारी करने की प्रक्रिया नियमानुसार पूर्ण की गई है। विनियमक आयोग, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रिमण्डल के परीक्षण, महामहिम राज्यपाल की अनुमति के पश्चात् ही यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। अतः माननीय सदस्य की यह आपत्ति अमान्य योग्य है।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा यह व्यवस्था दी गई कि यह संशोधन विधेयक सदन के समक्ष इसीलिए विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है जिससे सभी माननीय सदस्य पक्ष-विपक्ष में अपनी राय दे सकें। चर्चा के उपरान्त सदन इस विधेयक को पारित कर सकता है, अस्वीकृत कर सकता है अथवा लंबित रख सकता है। अतः व्यवस्था का प्रश्न अग्राह्य किया जाता है।

(श्री अजय सिंह, नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस पक्ष के सदस्यों द्वारा इस विधेयक को विचारार्थ लाने के पूर्व शासन द्वारा आशय पत्र की जानकारी सदन को उपलब्ध न कराने के विरोध में बहिर्गमन किया गया.)

9. शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमशः)

(5) श्री शैलेन्द्र कुमार जैन

(अपराह्न 1.00 से 2.38 बजे तक अन्तराल)

(6) श्री रामलखन सिंह

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(विधेयक पर खण्डशः विचारोपरान्त)

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने प्रस्ताव किया कि मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) तृतीय संशोधन विधेयक, 2011 (क्रमांक 30 सन् 2011) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
विधेयक पारित हुआ।

10. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा का पुनर्ग्रहण

प्रदेश में खाद बीज की कमी, कालाबाजारी एवं नकली खाद बीज व कीटनाशक की बिक्री के संबंध में दिनांक 22 नवम्बर, 2011 को प्रारम्भ हुई चर्चा के क्रम में तुलसीराम सिलावट, सदस्य ने अपना भाषण पूर्ण किया तथा निम्नलिखित सदस्यों ने भी इस चर्चा में भाग लिया :-

(12) श्रीमती साधना स्थापक
(13) श्री प्रदीप अमृतलाल जायसवाल
(14) राव देशराज सिंह यादव
(15) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर
(16) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(17) श्री बालाराम बच्चन
(18) श्री बृजमोहन धूत
(19) श्री श्रीकांत दुबे
(20) श्री अरूणोदय चौबे
(21) श्री राधेलाल बघेल
(22) कु. विक्रम सिंह
(23) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी
(चर्चा अपूर्ण)

अपराह्न 5.00 बजे विधान सभा की कार्यवाही गुरुवार, दिनांक 24 नवम्बर, 2011 (अग्रहायण 3, 1933) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 23 नवम्बर, 2011